[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

अधिसूचना सं. 20/2024–25
नई दिल्ली, दिनांकः 5 जुलाई, 2024

विषयः आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय–07 के आइटीसी (एचएस) कोड 07019000 के तहत मदों के लिए आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

सा.आ.(अ): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023, के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय–07 के तहत मद की नीतिगत शर्त में संशोधन करती हैः–

आइटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
07019000	आलू, ताज़ा अथवा प्रशीतितः अन्य	प्रतिबंधित	भूटान से आलू का आयात, बिना किसी लाइसेंस के 30 जून, 2024 तक मुक्त रुप से अनुमत है।	भूटान से आलू का आयात, बिना किसी लाइसेंस के 30 जून, 2027 तक मुक्त रुप से अनुमत है।

इस अधिसूचना का प्रभावः आइटीसी (एचएस) कोड 07019000 के तहत भूटान से आलू का आयात बिना किसी आयात लाइसेंस के 30 जून, 2027 तक अनुमत है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
5.7.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/89/180/02/एएम–17/पीसी–2(ए)/ई–3200 से जारी)